

कार्यालय,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,गोड्डा ।

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1389/ग्रा0वि0,दिनांक 22.05.2019 के आलोक में गोड्डा जिला के सभी 09 प्रखंड के 43 ग्राम पंचायत में 194 लाभुकों के लगभग 161.81 एकड़ भूमि पर बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रयुक्त होनेवाले विभिन्न सामग्री के क्रय के संबंध में दर निर्धारण के लिए निम्न प्रकार निविदा आमंत्रित किया जाता है:-

क्र०सं०	विवरणी
1	2
1	केचुआ खाद
2	करंज खल्ली
3	डी0ए0पी0 खाद
4	एम0ओ0पी0 खाद
5	बोन मील
6	डोलोमाइट
7	मैकोजैब+कार्बेनडाजीम
8	क्लोरोपैरीफॉर्स
9	फूराडॉन 3 जी
10	सड़ी गोबर खाद

1. इस हेतु पंजीकृत फर्म से Technical & Financial bid अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाता है। Tecnnical bidमें Qualify करने के बाद Financial bid खोला जायेगा।
2. इच्छुक आपूर्तिकर्ता पंजीकृत ग्राम संगठन/ कृषक उत्पादक समूह/ कृषक उत्पादक कम्पनी/ कृषक कॉपरेटिव(VO/FPO/FPG/FPC/FormersCoprative etc.) सक्रिय हों के द्वारा भी दिनांक 12.07.2019 तक कार्यालय अवधि में 02:00 बजे अपराहन् तक निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,गोड्डा में दे सकते हैं। निविदा उसी दिन 3:00 बजे अपराहन् क्रय समिति के समक्ष निविदादाता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के उपस्थिति में खोला जायेगा।
3. असफल निविदादाता को दर निर्धारण के पश्चात् उसी दिन उनके द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
4. सामग्री की आपूर्ति कार्य/योजना स्थल पर करना होगा । दर में सभी प्रकार के कर एवं परिवहन शुल्क आदि की राशि सम्मिलित होगी।

5. निविदा में दिया गया दर (भाड़ा सहित) Schedule Rate पर ही अभिश्रव समर्पित करना होगा।
6. न्यूनतम दर वाले निविदादाता का ही निविदा स्वीकार किया जायेगा।
7. निविदा की शर्तों में परिवर्तन एवं उसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

निविदादाता को निविदा के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा:-

1. निविदा के साथ 5000/- रू0 का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक ,गोड्डा के पदनाम से संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अद्यतन आयकर एवं सेल्स टैक्स क्लियरेंस संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ JVAT/CST/GST निबंधन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. आपूर्तिकर्ता को इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि -
(क). सामग्री की आपूर्ति योजना स्थल पर मेरे द्वारा की जाएगी, भविष्य में योजना में किसी प्रकार की गुणवत्ता को लेकर अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।
(ख) निविदा के माध्यम से स्वीकृत दर पर ही आपूर्ति की गई सामग्री का अभिश्रव कार्यकारी एजेंसी को दिया जायेगा। उससे अधिक राशि का अभिश्रव दिये जाने पर कार्रवाई के हकदार होंगे।
(ग) निविदादाता को किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है ऐसा पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गोड्डा।

कार्यालय,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,गोड्डा।

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1389/ग्रा0वि0,दिनांक 22.05.2019 के आलोक में गोड्डा जिला के सभी 09 प्रखंड के 43 ग्राम पंचायत में लाभुकों के लगभग 161.81 एकड़ भूमि पर बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रयुक्त होनेवाले विभिन्न सामग्री के क्रय के संबंध में दर निर्धारण के लिए निम्न प्रकार निविदा आमंत्रित किया जाता है:-

1. इस हेतु पंजीकृत फर्म से Technical & Financial bid अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाता है। Technical bid में Qualify करने के बाद Financial bid खोला जायेगा।
2. इच्छुक आपूर्तिकर्ता पंजीकृत ग्राम संगठन/ कृषक उत्पादक समूह/ कृषक उत्पादक कम्पनी/ कृषक कॉपरेटिव(VO/FPO/FPG/FPC/Formers Coprative etc.) सक्रिय हों के द्वारा भी दिनांक 12.07.2019 तक कार्यालय अवधि में 02:00 बजे अपराहन् तक निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,गोड्डा में दे सकते हैं। निविदा उसी दिन 3:00 बजे अपराहन् क्रय समिति के समक्ष निविदादाता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के उपस्थिति में खोला जायेगा।
3. निविदा में अंकित शर्तें NIC गोड्डा के बेवसाईट www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है ।

ह०

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गोड्डा।